रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042024-253586
CG-DL-E-06042024-253586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1551] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946
No. 1551] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

सं. 5 / 2023

विषयः आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–12 के आइटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के तहत तरबूज के बीज के आयात की नीतिगत शर्त में सशोधन।

का.आ. 1634(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–12 के आइटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के तहत नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती हैः–

आइटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
12077090 तरबूज के बीज–अन्य	प्रतिबंधित	अध्याय के नीतिगत शर्त (4) के अधीन आयात।	i. अध्याय के नीतिगत शर्त (4) के अधीन आयात। ii. तरबूज के बीज की आयात नीति, दिनांक 01 मई, 2024 से 30 जून, 2024 तक ''मुक्त'' है। 30 जून, 2024 तक जारी किया गया 'पोत लदान' लदान बिल के साथ खेप के आयात हेतु 'मुक्त' माना

			जाएगा। iii. आयात केवल तरबूज के बीज के प्रोसेसर्स हेतु केवल 'वास्तविक प्रयोक्ता' के आधार पर अनुमत होगा। iv. आयात एफएसएसएआइ आदेश आरसीडी – 12005/1/2021– विनियामक– एफएसएसएआइ भाग (2) (ई–1638) दिनांक 15.03.2024 के अनुरुप तरबूज के बीज हेतु केवल वैध एफएसएसएआइ/विनिर्माता लाइसेंस के तहत अनुमत होगा। v. सभी आयात, तरबूज के बीज की आयात निगरानी प्रणाली (एमएस–आइएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होंगे।

2. एमएस–आइएमएस के तहत तरबूज के बीज की खेप के पूर्व पंजीकरण के संबंध में प्रक्रिया अलग से अधिसूचित की जाएगी।

3. मौजूदा 'प्रतिबंधित' आयात नीति, जैसी कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले है, दिनांक 01 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी जब तक कि बाद की अधिसूचना द्वारा स्पष्ट रुप से संशोधित न की जाए।

इस अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी (एचएस) कोड 12077090 के तहत तरबूज के बीज का आयात तरबूज के बीज के प्रोसेसर्स जिनके पास दिनांक 15.03.2024 के एफएसएसएआइ के आदेश के अनुरुप एक वैध एफएसएसएआइ विनिर्माण लाइसेंस है, के लिए 'वास्तविक प्रयोक्ता' के आधार पर दिनांक 1 मई, 2024 से 30 जून, 2024 तक 'मुक्त' है। जो माल आयातित/लादा गया/पहुँच गया है लेकिन 1 मई, 2024 से पहले सीमाशुल्क की ओर से निकासी नहीं दी गई है को भी 01.05.2024 से 30.06.2024 के दौरान निकासी दी जा सकती है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/14/एएम 21/पीसी–2(क)/ई–28288]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(**Department of Commerce**)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2024

No. 05/2023

Subject:- Amendment in Import Policy Condition for Melon Seeds under ITC (HS) Code 1207 70 90 of Chapter-12 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy) -reg

S.O. 1634(E)— S.O. (E): In exercise of powers conferred by Section 3 and section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition under ITC (HS) 1207 70 90 of Chapter 12 of ITC (HS) 2022, Schedule-I(Import Policy) as under:

ITC(HS) Code & Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
12077090 Melon Seeds - Other	Restricted	Imports subject to Policy Condition (4) of the Chapter.	i. Imports subject to Policy Condition (4) of the Chapter. ii. Import Policy of Melon Seeds is 'Free' with effect from 01st May 2024 up to 30th June 2024. Consignments with 'shipped on board' Bill of lading issued till 30th June 2024

			shall be treated as "Free" to import. iii. Imports shall be permitted only on 'Actual User' basis to Processors of Melon Seeds only. iv. Imports shall be permitted only against a valid FSSAl Manufacturer Licence for Melon Seeds in line with FSSAI Order RCD-12005/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(2) (E-1638) dated 15.03.2024. v. All imports shall be subject to compulsory registration under Melon Seeds Import Monitoring System (MS-IMS).

2. Procedure in regard to prior registration of Melon Seed Consignments under MS-IMS shall be notified separately.

3. The existing 'Restricted' Import Policy, as it stands prior to the issuance of this Notification, shall be in effect starting from 1st July 2024, unless expressly amended by subsequent notification.

Effect of this Notification: Import of Melon Seeds under ITC(HS) code 12077090 is 'Free' with effect from 1st May 2024 till 30th June 2024, on 'Actual User' basis to Processors of Melon Seeds having a valid FSSAI Manufacturing Licence in line FSSAI Order dated 15.03.2024. Goods imported/shipped/arrived but not cleared from Customs prior to 1st May 2024 may also be cleared during 1.5.2024 to 30.6.2024.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/14/AM21/PC-2(A)/E-28288]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of ForeignTrade Ex-offico Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.06 17:25:29 +05'30'